जे.पी.आर.5– 826

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
*ईमेल – **se_comml@yahoo.in***

क0 जेपीडी / अधी.अ.(वा.) / सी– I / पत्रा / प्रे0 2177 जयपुर, दिनांक– 30-12-16

आदेश

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना।

निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक क0 जेपीडी / अधी.अ. (वा.) / सी– I / पत्रा / प्रे0 1258 जयपुर, दिनांक– 16.09.2016 (जेपीआर 5–808) द्वारा ''मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना'' के प्रथम चरण में ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविद्युतीकृत ढ़ाणियों में स्थित आवासों में घरेलु विद्युत कनेक्शन हेतु पंजीकरण की अवधि 31 अक्टूबर, 2016 तक निर्धारित की गई थी, जो कि आदेश क्रमांक 1656 दिनांक 28.10.2016 (जेपीआर 5–817) द्वारा 30 नवम्बर, 2016 तक एव आदेश क्रमांक 1952 दिनांक 7.12..2016 (जेपीआर 5–824) पुनः 31 दिसम्बर, 2016 तक बढाई गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन की अवधि को 31 जनवरी, 2017 तक बढाया जाता है।

31 दिसम्बर, 2016 तक पंजीकृत आवेदनों के तकनीकी रूप से साध्य होने की स्थिति में डिमाण्ड नोटिस जारी कर विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

31 ज़नवरी, 2017 तक पंजीकृत शेष सभी आवेदनों का सर्वे कर 28 फरवरी, 2017 तक लोड सेन्टर का निर्धारण किया जावेगा। आदेश क्रमांक 1258 दिनांक 16.09.2016 (जेपीआर 5–808) की शेष सभी नियम व शर्ते यथावत् रहेगी।

आज्ञा से
30/12/16
(के .के. पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

Desktop/San/JPR